संख्या-4/2023/163/005-21-3002-099-1-2022

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संस्कृत संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 04 अक्टूबर, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ के बहुद्देशीय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित **धनराशि रू0 41.00 लाख (रूपये इक्तालीस लाख मात्र)** की धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ के बहुद्देशीय भवन निर्माण हेतु मूल प्रायोजना लागत रू0 1996.25 लाख एवं भवन में अतिरिक्त नवीन कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 172.53 लाख कुल लागत रू0 2168.78 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

2- तत्क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2023- 24 में मद संख्या- 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियो के सृजन हेतु अनुदान में भवन निर्माण कार्य हेतु प्रावधानित **रू0 41.00 लाख (रूपये इक्तालीस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।
2. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य एवं मद में किया जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उपरोक्त धनराशि का आहरण कोषागार से किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जाएगी।
5. निर्माण कार्य अंतिम रूप से अनुमोदित आगणन में निर्माण इकाई यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0सिडको) द्वारा सक्षम स्तर से लिखित आदेशों/अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन अपने स्तर से नहीं किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 41,00,000 (रुपये इकतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202031040600 उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 4(1)/2023/163/005-21-3002-099-1-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. भाषा उर्दू अनुभाग-4
8. श्री रत्न दीप दीक्षित (नोडल अधिकारी)।
9. डी0डी0ओ0, भाषा विभाग।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in